XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व विविध अनुमति वाद संख्या–54/11
बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा– 49 (जी)

श्री भिखन उराँव, पिता– स्व0 मंहगू उराँव,
सकिन– मुन्शीबाड़ी हाँसदा, थाना– सदर, जिला– पूर्णियाँ

बनाम

रा ज्य स र का र

आदेश

यह राजस्व विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा गम्भीर बिमारी एवं हार्ट अटैक आने के फलस्वरूप अपनी इलाज हेतु तथा अपनी लड़की शादी करने के लिए बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा–49(जी) अन्तर्गत बिक्री कीले कर अनुमति हेतु दायर किया गया है।

इसमें आवेदक का कथन है कि उनके पास 5.66 डिसमल जमीन है। जिसमें कसबा अंचल अन्तर्गत पुपड़िया मौजा में अभी 3.66 एकड़ जमीन है। उक्त जमीन आवेदक के घर से काफी दूर पर है। उक्त जमीन निबंधित केवाला द्वारा प्रापत है। वर्त्तमान समय में गम्भीर बिमारी की दौर से गुजर रहा है तथा एक बार हार्ट अटैक भी हो चुका है तथा लड़की की उम्र 22 वर्ष हो चुका है जिसका शादी करना आवश्यक है। इसलिए जमीन बिक्री करना चाहता है।

इस सन्दर्भ में अंचल अधिकारी, कसबा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गयी। अंचल अधिकारी, कसबा ने अपने पत्रांक–715 दिनांक 07.07.10 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं, जो निम्न प्रकार है :–

आवेदक द्वारा कुल धारित जमीन :–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा	आवेदक के नाम जमाबंदी दर्ज है
पुपरिया–246	53	680	0.71	
	107	634	0.77	
		638	0.96	
		कुलः	2.44 एकड़	

बिक्री की जानेवाली जमीन का ब्यौरा :–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
पुपरिया–246	53	680	0.71

प्रश्नगत जमीन बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 1.73 एकड़ जमीन अवशेष बच जाता है जिससे वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।

प्रश्नगत जमीन भूदान, भूहदबन्दी, स्वत्ववाद एवं बिहार सरकार से मुक्त है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारी सहित
1	2	3
	विद्वान अंचल अधिकारी, कसबा के प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन के आलोक में आवेदक के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत जमीन ब्रिकी की अनुमति प्रदान की जाती है। इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 28/3/.. समाहर्त्ता, पूर्णियाँ लेखापित एवं संशोधित । 28/3/.. समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	